राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांक:– 05/02/2021

क्रमांक:– एफ.4(ई)(1)(6)(428/86)/अलेसे–III/37

कार्यालय आदेश

श्री हीराराम चौधरी, क0 लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जोधपुर द्वारा अपराध संख्या 198/2002 अंतर्गत धारा 7, 13 (1)(डी)13(2) पी.सी. एक्ट 1988 में पंजीबद्ध होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)428/86/अलेसे–III/5584–89 दिनांक 09.07.2002 के द्वारा तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। निलम्बित कार्मिक के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 की बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री हीरालाल चौधरी, कनि. लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा वित्त राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 29/2012–13 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा श्री हीराराम चौधरी, कनि. लेखाकार को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जॉच के निर्णय के पश्चात् लिये जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय (भ्र.नि.ब्यू) जोधपुर के निर्णय दिनांक 29.08.2018 के द्वारा श्री चौधरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 की धारा 7, 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध से दोष मुक्त किया गया है। उप निदेशक अभियोजन–प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज जयपुर के पत्रांक 1025–26 दिनांक 15.04.2019 के अनुसार माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 29.08.2018 के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका है। श्री चौधरी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अंतर्गत श्री हीराराम चौधरी, कनि. लेखाकार की निलंबन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं कि:–

1. श्री हीराराम चौधरी, को निलम्बन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगें तथा
2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

दिनांक:– 05/02/2021

क्रमांक:– एफ.4(ई)(1)(6)(428/86)/अलेसे–III/37

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. कोषाधिकारी, अलवर/डूंगरपुर।
5. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. श्री हीराराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोषाधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर)।
7. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)